


सेवा में,

श्रीमान् सचिव महोदय,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।



विषय- पी0सी0आई0 (PCI-532) मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सत्र 2022-23 पी0सी0आई0 बोर्ड द्वारा मान्यता पत्र अभी तक प्राप्त नहीं कराये गये हैं।

ऐसे में बोर्ड द्वारा मांगा गया पी0सी0आई0 सत्र 2022-23 का मान्यता पत्र देने में असमर्थ है, जैसे ही संस्थान को पी0सी0आई0 मान्यता पत्र प्राप्त होता है वैसे ही आपके सम्बन्धित कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि संस्थान के अनुरोध को स्वीकार करते हुए बोर्ड द्वारा मान्यता की अनुमति प्रदान करे।

Course	Intake Approved for 2021-22	Intake Applied for 2022-23
Diploma in Pharmacy	60	60

सादर धन्यवाद

संलग्न-

1. पी0सी0आई0 एफिलेशन लेटर सत्र 2021-22
- 2- बी0टी0ई0 एफिलेशन लेटर सत्र 2021-22

प्राचार्य
दिव्या कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी
शहजादपुर पौरी फरह मथुरा

Director
Divya College of Pharmacy
Farah, Mathura



PHARMACY COUNCIL OF INDIA

E-mail : registrar@pci.nic.in
Website : www.pci.nic.in
Contact : 011-61299900/01/02/03

NBCC Centre, 3rd Floor Plot No.2, Community Centre
Maa Anandamai Marg Okhla Phase I
NEW DELHI - 110020

DECISION LETTER

Institute Name / Inst ID : Divya College Of Pharmacy Vill Shahzadpur Pauri Farah Mathura/PCI-532

State : UTTAR PRADESH

District : MATHURA

Sub-District : .

Village/Town/City : Farah

Pin Code : 281122



Sir / Madam

With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details

Course	Name of Affiliation	Decision	Approval Status
B.Pharm	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	The latest information on record including appeal was placed and considered. Granted approval for 2021-2022 academic session for conduct of 4th year for 60 admission for B.Pharm course. Allowed 60 admissions in 2021-2022 in 1st year (B.Pharm).	Approved
D.Pharm	The Registrar Integral University Dasauli Kursi Road Lucknow	The latest information on record including appeal was placed and considered. Extension of approval upto 2021-2022 academic session for 60 admissions for D.Pharm course.	Approved

Date : 16th Apr 2021

~~Director~~
Divya College of Pharmacy
Farah, Mathura

For Archana Mudgal
Registrar-cum-Secretary

कानूनसाल,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कानूनसाल शाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मोसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1675-DIVYA COLLEGE OF PHARMACY, VILL-SAZADPUR PAUDI FARAH, MATHURA

क्र०सं०

पाठ्यक्रम का नाम

ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई०

परिषद द्वारा सत्र

द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित

2021-22 हेतु

प्रवेश क्षमता

अनुमोदित प्रवेश क्षमता

60

60

1. DIPLOMA IN PHARMACY

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, रेगुलेशन विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पभावी होंगे, और तदनुसार

Director
Divya College of Pharmacy
Farah, Mathura

- करायेवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
 - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
 - ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/आधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
 - ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

Director
Divya College of Pharmacy
Farah, Mathura

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

पत्रिलिपि -

प्रधानाचार्य/निदेशक, DIVYA COLLEGE OF PHARMACY, VILL-SAZADPUR PAUDI FARAH, MATHURA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

Director
Divya College of Pharmacy
Farah, Mathura